**शीर्षकः– ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिकाः उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन**

**नाम–एकता चौधरी,**
**सुपरवाईजर – प्रो0 फुरकान अहमद,**
**राजनीतिक विज्ञान संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया**

## सारांशिका

**संकेत शब्दः– पंचायती राज व्यवस्था, लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण, महिला शक्तिकरण व स्वशासन।**

आधुनिक विश्व में भारत एक नवोदित, महानतम एवं विकासशील राष्ट्र है। भारत में राजनीति मुख्यतः राष्ट्र निर्माण और देश की एकता को बनाये रखने की राजनीति है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। लोकतंत्र का आधार शासन में जनसहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण है। उसी भावना का साकार रूप पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासों और जनता के बीच तार तम्यता स्थापित करना है। अतः ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी स्तरों पर विकास है। पंचायती राज व्यवस्था इस दिशा में साकार भूमिका निभा रही है। पंचायतों को सौंपे गये कार्य ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2 अक्टूबर, 1952 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय शासन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में लिखित 29 विषयों में से प्रथम चरण के 14 विषयों के कार्य निर्धि व उत्तरदायित्व को त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित किये गये हैं, पंचायतें प्रजातंत्र की प्रारम्भिक पाठशाला है। भारत के लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है।

भारतीय संविधान में पंचायतों को राज्य के नीति–निर्देशक तत्व के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद – 40 में रखा गया है। भारत में पंचायती राज ने इतिहास में 24 अप्रैल, 1993 एक स्वर्णिम दिन कहा जा सकता है, इस दिन संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।

वर्तमान शोध कार्य की समस्या का शीर्षक **"ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के संदर्भ में"** है। अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

– ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका को स्पष्ट करना। ग्रामीण विकास के लिये निर्मित सार्वजनिक नीतियों और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। पंचायत राज अधिनियम के लागू होने से महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है।

प्रस्तुत शोध पद्धति में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों को लिया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य को समझने के लिये छः अध्यायों में विभाजित किया गया है, **प्रथम अध्याय** के अन्तर्गत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पहलू एवं उनकी संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। **द्वितीय अध्याय** को 'पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयास' का नाम दिया गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये जो समितियों, अधिकार, शक्तियाँ व योजनाएँ बनाई गई हैं, का विस्तृत उल्लेख किया गया है। **तृतीय अध्याय** में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक एवं राजनीतिक पहलुओं को बतलाते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एवं पंचायतों के प्रशासनिक संस्थाओं का वर्णन किया गया है एवं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका को दर्शाया गया है। तत्पश्चात् **चतुर्थ अध्याय** में वाराणसी जिले के अन्तर्गत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास का सूक्ष्म अवलोकन करते हुये वाराणसी जिले के त्रिस्तरीय ढाँचे एवं ग्राम पंचायत के आय–व्यय के स्रोत, बजट एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। **पंचम अध्याय** में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चार ब्लाकों – काशी विद्यापीठ, पिण्डरा, बड़ागाँव एवं आराजीलाइन विकासखण्डों का अध्ययन किया गया, अन्त में, शोध के अंतिम अध्याय में प्राप्त निष्कर्षों तथा अनुभवों विश्लेषणों के पश्चात् प्रस्तुत अध्याय में आयी समस्याओं तथा उनके समाधानों का विश्लेषण किया गया है।